



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224751
CG-DL-E-28012021-224751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 370]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का. आ. 402(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. ने तमिलनाडु राज्य में सिपकोट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलेक्ट्रानिक्स/दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(i)	का. आ. 2141(अ)	22.12.2006	189.771	—	189.771
(ii)	का. आ. 1308(अ)	31.07.2007	41.369	—	231.140
(iii)	का. आ. 677(अ)	02.03.2015	—	11.832	219.308
(iv)	का. आ. 1219(अ)	17.03.2016	—	23.75	195.558
(v)	का. आ. 2343(अ)	01.06.2018	—	16.336	179.222
(vi)	का. आ. 4779(अ)	05.09.2018	—	28.338	150.884
(vii)	का. आ. 6064(अ)	03.12.2018	—	3.963	146.921
(viii)	का. आ. 1584(अ)	09.04.2019	—	13.286	133.635

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 19.570 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 240/एमआईई.2/2020-1 दिनांक 03.02.2020 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 19.570 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **19.570 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **114.065 हेक्टेयर** हो जाएगा, जो निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	मामबक्कम ग्राम, श्रीपेरुम्बदूर तालुक	233पार्ट	0.650
2		234	3.050
3		235	3.940
4		236	4.560
5		237	2.705
6		240	2.400
7		241	2.265
कुल			19.570
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			114.065

[फा. सं. एफ. 2/146/2006—एसईजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 402(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronics/Telecom Hardware and Support Services, including Trading and Logistics activities at SIPCOT, Industrial Area, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O. 2141 (E)	22.12.2006	189.771	-	<u>189.771</u>
(ii)	S.O. 1308 (E)	31.07.2007	41.369	-	231.140
(iii)	S.O. 677 (E)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	S.O. 1219 (E)	17.03.2016	-	23.75	195.558
(v)	S.O. 2343 (E)	01.06.2018	-	16.336	179.222
(vi)	S.O. 4779 (E)	05.09.2018	-	28.338	150.884
(vii)	S.O. 6064 (E)	03.12.2018	-	3.963	146.921
(viii)	S.O. 1584 (E)	09.04.2019	-	13.286	<u>133.635</u>

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 19.570 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 240/MIE.2/2020-1, dated 03.02.2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 19.570 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 19.570 hectares** at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, Industrial Area, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu; thereby making resultant area as **114.065 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1	Mambakkam Village, Sriperumbudur Taluk	233Pt.	0.650
2		234	3.050
3		235	3.940
4		236	4.560
5		237	2.705
6		240	2.400
7		241	2.265
	Total		19.570
	Grand total area of SEZ after above deletion		114.065

[F. No. F.2 /146/2006-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.